संख्या-28 /2024/77-1099/398/2020/001-775

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उद्योग, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 18-12-2024

विषयः- एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/जीओयूपी/बीआईएफआर/पीसीपीएल/Vol-5/805, दिनांक 04.10.2024 एवं पत्र संख्या- इन्स-9-टी.टी.डी./113/2002-03/Vol.II/806, दिनांक 04.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रबन्ध निदेशक, पिकप पत्र संख्या- पिकप/जीओयूपी/बीआईएफआर/पीसीपीएल/Vol-5/805, दिनांक 04.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015, शासनादेश संख्या- 1701/77-1-2015-10(बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 07.12.2015 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी थी जिसके अन्तर्गत पात्र रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निवेश नीति में नये निवेश को अनुमन्य तमाम सुविधाओं को रूग्ण इकाईयों को भी सुलभ कराते हुए रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन के उद्देश्य से रियायते / सुविधाएं प्रदान किया जाना प्राविधानित था। योजनान्तर्गत अनुमन्य पुनर्वासन पैकेज को क्रियान्वित करवाने हेतु पिकप को नोडल एजेन्सी बनाते हुए मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन कर अर्ह रूग्ण इकाईयों इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं एवं रियायतों के दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त योजनान्तर्गत मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा०लि०, गाजियाबाद, को दिनांक 17.05.2023 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न एकमुश्त पुनर्वासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या- 77-1099/398/2020 दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से अनुतोष एवं रियायतें स्वीकृत की गयी थी जिनकी अवधि नीति अनुसार कट-आफ-तिथि से 10 वर्ष की है (कट-आफ-तिथि का तात्पर्य शासनादेश जारी होने के दिनांक से है) तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. उत्पादित माल के विक्रय पर दिये गये वैट एवं केन्दीय बिक्री कर (जी.एस.टी. लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) की प्रतिपूर्ति:

कट-आफ-तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय पर दिये गये वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को करना होगा।

2. कच्चे माल की खरीद पर दिये गये वैट एवं केन्दीय बिक्री कर (जी.एस.टी. लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) की प्रतिपूर्ति:

कट-आफ-तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कच्चे माल की खरीद पर दिए गये वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को करना होगा।

3. विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित उत्पादित माल के विक्रय पर एवं कच्चे माल की खरीद पर दिये गये वैट एवं केन्दीय बिक्री कर (जी.एस.टी. लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) की प्रतिपूर्ति:

यदि रूग्ण इकाई पुनर्वासन हेतु वर्तमान इकाई में कोई विस्तारीकरण / विविधीकरण करती है, तो विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) देयों के बारे में भी निम्नवत सुविधाएं प्रदान की जायेंगीं ।

i) कट-आफ-तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय पर दिये गये वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को करना होगा।

ii) कट-आफ-तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कच्चे माल की खरीद पर दिए गये वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को करना होगा।

4. नई प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की खरीद पर भुगतान की गई ब्याज की प्रतिपूर्ति:

यदि रूग्ण इकाई पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत विविधीकरण या विस्तारीकरण या नई इकाई के स्थापना के लिए कोई नई प्लाण्ट एण्ड मशीनरी खरीदती है और उस पर किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करती है, तो उस पर भुगतान की गई ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज की वास्तविक धनराशि अथवा अधिकतम रू0 50.00 लाख, जो भी कम हो, प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक दी जायेगी।

5. अन्य अनुमन्य की जाने वाली रियायतें / सुविधाएं

पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली नई एवं रूग्ण इकाई (विविधीकरण / विस्तारीकरण सहित) को बाकी अन्य वह सभी सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगीं, जो औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत अनुमन्य हैं, यथा स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट इत्यादि।

i) नई प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की खरीद पर यदि किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया जाता है, तो उस पर भुगतान की गई ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज की वास्तविक धनराशि अथवा अधिकतम रू 50.00 लाख, जो भी कम हो, प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक दिया जाना।

ii) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत अनुमन्य इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट।

iii) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत अनुमन्य इंप्लाइज प्रोवीडेन्ट फन्ड (ई०पी०एफ०) प्रतिपूर्ति योजना-2012 के अन्तर्गत नियोक्ता के अंश दान पर नीति के प्राविधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की सुविधा।

6. अन्य प्रावधान / शर्तें:

i) कम्पनी द्वारा पिकप के पक्ष में एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के प्रस्तर संख्या 2-घ(1) के अनुपालन में पुनर्वासन शुल्क रू0-10.00 लाख जमा किया जाना होगा।

ii) कम्पनी को एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के प्रस्तर संख्या 2-ख(3) के प्राविधानानुसार समिति द्वारा निर्धारित की गई धरोहर धनराशि रू0 2.00 करोड़ को नोडल एजेन्सी पिकप के पास जमा करना होगा।

iii) मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि0, गाजियाबाद द्वारा एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्तर्गत लाभ दिये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ, में रिट याचिका संख्या- रिट-सी 509/2022 मे0 पसौंदिया केबल्स प्रा० लि० बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गई है, जो मा० न्यायालय में विचाराधीन है, को अतिशीघ्र वापस लिया जाना होगा।

7. शासनादेश में उल्लिखित अन्य प्रावधान / शर्तों का कम्पनी द्वारा अनुपालन

शासनादेश में उल्लिखित अन्य प्रावधान / शर्तों के क्रम में इकाई के द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

i) मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 16.09.2023 को UTR No ICICR-42023091600000821 के माध्यम से पुनर्वासन शुल्क रू0 10.00 लाख एवं दिनांक 31.10.2023 को UTR No ICICR-42023103100001878 के माध्यम से धरोहर राशि रू0 2.00 करोड को पिकप के खाते में जमा कर दिया गया है। उपरोक्त पुनर्वासन शुल्क रू0 10.00 लाख एवं धरोहर धनराशि रू0 2.00 करोड़ पिकप के खाते में जमा होने की पुष्टि की जा चुकी है।

ii) मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद ने अपने ई-मेल दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से पिकप को सूचित किया कि उनके द्वारा रिट याचिका संख्या- रिट-सी 509/2022 मे0 पसौंदिया केबल्स प्रा० लि० बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गई थी, को शासनादेश दिनांक 11.12.2023 में उल्लिखित शर्त के अन्तर्गत वापस लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध मे मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के द्वारा दिनांक 25.04.2024 को आदेश निर्गत किया गया है।

अन्य प्रावधान / शर्तों के अनुपालन के उपरान्त 19.07.2024 को इकाई के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु (12.12.2023 से 31.03.2024 तक की पात्र अवधि) बिक्रीत उत्पाद /कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये /दिये गये वैट /सी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी पिकप को आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत क्लेमों का पिकप के द्वारा अपने इम्पैनल्ड जी०एस०टी० ऑडिटर के माध्यम से सत्यापित करवाया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

Sl No	Description	Amount claimed by the company as per Annex-1	Eligible amount of SGST as per the verification by the Auditor	Amount approved by the Auditor for reimbursement
	A	B	C	D= 85% of C
a)	Claim of SGST reimbursement on purchase of raw material by M/s Pansondia Cables (P) Ltd. For the period 12.12.2023 to 31.03.2024	Rs 7,34,94,307.00	Rs 8,64,63,891.00	85% of Rs 8,64,63,891.00 = Rs 7,34,94,307.35 Rounded-off to nearest Rupee = Rs **7,34,94,307/-**
b)	Claim of SGST reimbursement on sale of finished goods by M/s Pansondia Cables (P) Ltd. For the period 12.12.2023 to 31.03.2024	Rs 55,93,726.00	Rs 65,80,854.00	85% of Rs 65,80,854.00 = Rs 55,93,725.90 Rounded-off to nearest Rupee = Rs 55,93,726/-
c)	Total claims by M/s Pansondia Cables (P) Ltd.	Rs 7,90,88,033.00	-	Rs 7,90,88,033/-
d)	Add/(Less): Adjustment to the aforesaid claim	Nil	-	Nil
e)	**Final claim approved by the Auditor.**			**Rs 7,90,88,033/-**

योजनान्तर्गत पात्र इकाई, मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि0, गाजियाबाद, को नीति के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के क्लेमो हेतु रू0 7,90,88,033.00 की धनराशि के समतुल्य रियायतें /सुविधाएं यथा बिक्रीत उत्पाद /कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये /दिये गये वैट /सी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी 'पिकप' द्वारा संस्तुति की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	इकाई का नाम	क्लेम हेतु वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	वितरण हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि
1.	मे० पसौन्दिया	2023-24	7,90,88,033.00	7,90,88,033.00

	केबल्स प्रा० लि0, गाजियाबाद	(12.12.2023 से 31.03.2024 तक की पात्र अवधि)		
	योग		**7,90,88,033.00**	**7,90,88,033.00**

उक्त इकाई को योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुतोष एवं रियायतों के सापेक्ष यह प्रथम वितरण प्रस्तावित है।

3- प्रबन्ध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- इनूस-9-टी.टी.डी./113/2002-03/Vol.II/754, दिनांक 20.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 शासनादेश संख्या-1701/77-1-2015-10(बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 07.12.2015 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी थी जिसके अन्तर्गत पात्र रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निवेश नीति में नये निवेश को अनुमन्य तमाम सुविधाओं को रूग्ण इकाईयों को भी सुलभ कराते हुए रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन के उद्देश्य से रियायतें/सुविधाएं प्रदान किया जाना प्राविधानित था। योजनान्तर्गत अनुमन्य पुनर्वासन पैकेज को क्रियान्वित करवाने हेतु पिकप को नोडल एजेन्सी बनाया गया एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन कर अर्ह रूग्ण इकाईयों को इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं एवं रियायतों के दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त योजनान्तर्गत मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद /सण्डीला को दिनांक 24.10.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न एकमुश्त पुनर्वासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या- 1571/77-1-2016-10(बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 29.12.2016 के माध्यम से अनुतोष एवं रियायतें स्वीकृत की गयीं थीं। शासनादेश में उल्लिखित एक शर्त के अनुपालन में इकाई को पिकप के पक्ष में प्रथम पारीपासु चार्ज सृजित करना था जो कि इकाई द्वारा नवम्बर 2023 में सृजित कराया गया एवं तत्पश्चात माह जनवरी 2024 में इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिनको प्रसंसीकृत कर रू0 11,11,36,048.00 की धनराशि की प्रतिपूर्ति इकाई को मार्च 2024 में कर दी गयी। तत्पश्चात, इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजनान्तर्गत सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 05 जून, 2024 को आवेदन किया गया एवं तदोपरान्त आवश्यक प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र भी प्रस्तुत किए गये।

निवर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त योजनान्तर्गत रूपया 20.00 करोड की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु की गयी थी एवं योजनान्तर्गत पात्र इकाई, मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद सण्डीला को नीति एवं शासनादेश दिनांक 29.12.2016 के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रू० 30,47,35,626.00 की धनराशि के समतुल्य रियायतें /सुविधाएं यथा विक्रीत उत्पाद /कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये /दिये गये वैट /सी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. /राज्य आबकारी राजस्व की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी 'पिकप' द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। पात्र इकाई, मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद /सण्डीला को अनुमन्य अनुतोष एवं रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने हेतु कुल रू0 30,47,35,626.00 की धनराशि की आवश्यकता हेतु पिकप द्वारा पत्र दिनांक 16.07.2024 के माध्यम से व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया गया था। शासनादेश संख्या- 24/2020/77-1-099/398/2020/001-572 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा रू० 30,47,35,626.00 की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी थी। चूंकि एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट की उपलब्धता केवल रू0 20.00 करोड होने के कारण प्रावधानित राशि की सीमा तक वितरण हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	वितरण हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि (बजट प्राविधान की सीमा तक)	वितरण दिनांक
1.	मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0,	2023-24	30,47,35,626.00	20,00,00,000.00	29.08.2024

	सिकन्द्राबाद / सण्डीला				
	योग		**30,47,35,626.00**	**20,00,00,000.00**	

उक्त इकाई को योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुतोष एवं रियायतों के सापेक्ष यह द्वितीय वितरण की शेष धनराशि प्रस्तावित है। पूर्व में किए गये वितरण का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि / वितरण की दिनांक
1.	मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद /सण्डीला	2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23	11,11,36,048.00	11,11,36,048.00 / 22.03.2024
		2023-24	30,47,35,626.00	20,00,00,000.00 /29.08.2024
	योग		**41,58,71,674.00**	**31,11,36,048.00**

चूंकि एकमुश्त पुनर्वासन नीति 2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 20.00 करोड़ का ही बजट प्राविधान था परन्तु वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 20.00 करोड़ की आवश्यकता के दृष्टिगत पिकप द्वारा पत्र दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से शासन को अवगत कराते हुये उपरोक्त धनराशि की व्यवस्था के लिये अनुरोध किया गया था। अतएव प्रबंध निदेशक, पिकप, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट के माध्यम से अतिरिक्त रू0 20.00 करोड (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि में से रू0 10,47,35,626.00 की धनराशि अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि उक्त धनराशि पात्र रूग्ण औद्योगिक इकाई को उसके खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से हस्तांतरित करायी जा सके।

4- प्रबन्ध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- इन्स-9-टी.टी.डी./113/2002-03/Vol.II/806, दिनांक 04.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति 2015 के अन्तर्गत मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद / सण्डीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनरीक्षित बजट के द्वारा अतिरिक्त रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष शेष धनराशि रूपया 10,47,35,626.00 अवमुक्त किये जाने के संबंध में पुनर्वासन नीति के अंतर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट / ब्याज की प्रतिपूर्ति लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट / ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति-42-अन्य व्यय" में रू0 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से अनुदान संख्या- 007 उद्योग विभाग (भारी एवं माध्यम उद्योग) लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-33-एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रू0 2000.00 लाख का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है।

अत: वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से अनुदान संख्या-007 उद्योग विभाग (भारी एवं माध्यम उद्योग) लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-33-एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत रू0 20.00 करोड की अतिरिक्त प्राविधानित धनराशि में से रू0 10,47,35,626.00 (रूपया दस करोड़ सैतालिस लाख पैंतीस हजार छः सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। ताकि उक्त धनराशि पात्र रूग्ण औद्योगिक इकाई मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद / सण्डीला को उसके खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से हस्तांतरित करायी जा सके।

5- इस प्रकार प्रबंध निदेशक, पिकप, लखनऊ द्वारा मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा०लि०, गाजियाबाद को वित्तीय वर्ष 2023-24 के क्लेमो की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 7,90,88,033.00 (रूपया सात करोड़ नब्बे लाख अट्ठासी हजार तैंतीस मात्र) तथा मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद

/ सण्डीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष धनराशि रूपया 10,47,35,626.00 (रूपया दस करोड़ सैंतालीस लाख पैंतीस हजार छ: सौ छब्बीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 18,38,23,659.00 (रूपया अट्ठारह करोड़ अडतीस लाख तेईस हजार छ: सौ उन्सठ मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6- अवगत कराना है कि पुनर्वासन नीति के अंतर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज की प्रतिपूर्ति लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पुनर्वसिन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति-42-अन्य व्यय" में रू0 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से अनुदान संख्या-007 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)- लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-33-एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रू0 2000.00 लाख का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है, जिसे बी०एम०-9 (भाग-1) पुनर्विनियोग के आवेदन/स्वीकृति आदेश संख्या- 783/77-1-2024 दिनांक 24.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कर दिया गया है।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 07 में उक्त प्राविधानित धनराशि में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में जारी निर्देशों के अनुसरण में पिकप, लखनऊ द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा०लि०, गाजियाबाद को वित्तीय वर्ष 2023-24 के क्लेमो की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 7,90,88,033.00 (रूपया सात करोड़ नब्बे लाख अट्ठासी हजार तैंतीस मात्र) तथा मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद / सण्डीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष धनराशि रूपया 10,47,35,626.00 (रूपया दस करोड़ सैंतालीस लाख पैंतीस हजार छ: सौ छब्बीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 18,38,23,659.00 (रूपया अट्ठारह करोड़ अडतीस लाख तेईस हजार छ: सौ उन्सठ मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण कर मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को अनुतोष एवं रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त स्वीकृत आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) स्वीकृत धनराशि का भुगतान इकाई को उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

(5) पिकप का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।

(6) इकाई के संबंध में पिकप, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुतोष /रियायतों के संबंध में प्रक्रियाओं /विधिक औपचारिकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।

(7) शासनादेश संख्या- 1701/77-1-2015-10(बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 07.12.2015 के माध्यम से प्रख्यापित एकमुश्त पुनर्वासन नीति, 2015 द्वारा इकाई को अनुमन्य अनुतोष /रियायतों के संबंध में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन पिकप द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित

धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(10) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।
(11) इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,38,23,659.00 (रुपये अठारह करोड़ अड़तीस लाख तेईस हजार छह सौ उनसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001400 पुर्नवासन नीति के अन्तर्गत रूगण इकाईयों को पुर्नवासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
Nirmesh Kumar Shukla
Date: 18-12-2024 14:08:41

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्र संख्या- पत्र संख्या-पिकप/जीओयूपी/बीआईएफआर/पीसीपीएल/Vol-5/805, दिनांक 04.10.2024 एवं पत्र संख्या-इन्स-9-टी.टी.डी./113/2002-03/Vol.II/806, दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
6- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A077-20242025-783-2024

विषय:- पुर्नवासन नीति के अन्तर्गत रूगण इकाईयों को पुर्नवासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति हेतु पुनिर्वियोग।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852808003300 (एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015)	42 (अन्य व्यय)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	-20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	-	-	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वि व
007	2852808001400 (पुर्नवासन नीति के अन्तर्गत रूगण इकाईयों को पुर्नवासन हेतु	42 (अन्य व्यय)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	-	-	20 20

	वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति)						

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1 . स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति-42-अन्य व्यय" में आवश्यक्तानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से ससमय धनराशि का प्राविधान कराया जाना है।

2 . स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण-रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति हेतु मानक मद "33-एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015, 42-अन्य व्यय" में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से ससमय धनराशि का प्राविधान कराया जाना है।

3 . प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 156 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-102ई-6-106-X-2024-25, दिनांक- 23-10-2024

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उ0प्र0 इलाहाबाद।

( ) अनु सचिव	(निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव

संख्या : 783/77-1-2024 दिनांक- 24-10-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, तीन प्रतियों में।

आज्ञा से

Signed by
Nirmesh Kumar Shukla (निर्मेष कुमार शुक्ल)
Date: 24-10-2024 18:07:38 उप सचिव